रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092020-221905
CG-DL-W-23092020-221905

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2020, शनिवार/ भाद्र 22—भाद्र 28, 1942

No. 34] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2020, SATURDAY/BHADRA 22—BHADRA 28, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 804.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (ड.) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्डों में निदेशक नामित करती है, नामतः:-

(क) श्री देबाशीष पण्डा (विशेष सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री रवि मित्तल के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक;

(ख) श्री संजीव कौशिक (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर इंडियन बैंक के बोर्ड में निदेशक; और

(ग) श्री अमित अग्रवाल (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री देबाशीष पण्डा के स्थान पर बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में निदेशक।

[फा. सं. 6/3/2012–बीओ-I (खण्ड II)]

एस. के. रॉय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 24th January, 2020

S.O. 804 .—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) and clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates the following persons as Directors on the Boards of banks as specified, namely:—

(a) Shri Debasish Panda [Special Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services] as Director on the Central Board of State Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Ravi Mital;

(b) Shri Sanjeev Kaushik [Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services] as Director on the Board of Indian Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Amit Agrawal; and

(c) Shri Amit Agrawal [Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services] as Director on the Board of Bank of Baroda, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Debasish Panda.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

S. K. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

का.आ. 805.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आलोक तिवारी (उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री मनीष गुप्ता के स्थान पर कार्पोरेशन बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012–बीओ-I (खण्ड II)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 5th March, 2020

S.O. 805.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Alok Tiwari (Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Corporation Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Manish Gupta.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ. 806.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देबाशीष पण्डा (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री राजीव कुमार के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 7/2/2012–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 806 .— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Debasish Panda (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Rajiv Kumar.

[F. No. 7/2/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 807.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, श्री एन. एस. विश्वनाथन के त्याग-पत्र को दिनांक 31.3.2020 से स्वीकार करती है।

[फा. सं. 1/1/2011–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 807.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby accepts the resignation of Shri N. S. Vishwanathan from the post of Deputy Governor, Reserve Bank of India with effect from 31.3.2020.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 808.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार को दिनांक 1.4.2020 से 19.9.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 808.— In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Sanjay Kumar, Executive Director, United Bank of India as Executive Director, Punjab National Bank with effect from 1.4.2020 till 19.9.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 809.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री अजीत कुमार दास को दिनांक 1.4.2020 से उनकी अधिवर्षिता की आयु, अर्थात 31.3.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री गोविन्द एन. डोंगरे के स्थान पर पंजाब एंड सिंध बैंक में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 809.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Central Government hereby appoints Shri Ajit Kumar Das, Executive Director, United Bank of India as Executive Director, Punjab and Sind Bank, *vice* Shri Govind N. Dongre, with effect from 1.4.2020 till the date of his superannuation, *i.e.,* 31.3.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 810.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के कार्यपालक निदेशक श्री विजय दूबे को दिनांक 1.4.2020 से 31.10.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 810 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Vijay Dube, Executive Director, Oriental Bank of Commerce as Executive Director, Punjab National Bank with effect from 1.4.2020 till 31.10.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ.811.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, कारपोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बिरुपाक्ष मिश्र को दिनांक 1.4.2020 से उनकी अधिवर्षिता की आयु, अर्थात 31.1.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 811 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Birupaksha Mishra, Executive Director, Corporation Bank as Executive Director, Union Bank of India with effect from 1.4.2020 till the date of his superannuation, *i.e.,* 31.1.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 812.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री कृष्णन एस. को दिनांक 1.4.2020 से 31.10.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 812 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Krishnan S., Executive Director, Syndicate Bank as Executive Director, Canara Bank with effect from 1.4.2020 till 31.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 813.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय के. खुराना को दिनांक 1.4.2020 से 19.9.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 813 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ajay K. Khurana, Executive Director, Syndicate Bank as Executive Director, Bank of Baroda with effect from 1.4.2020 till 19.9.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ.814 .—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के. रामाचन्द्रन को दिनांक 1.4.2020 से उनकी अधिवर्षिता की आयु, अर्थात 30.6.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 814 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri K. Ramachandran, Executive Director, Allahabad Bank as Executive Director, Indian Bank with effect from 1.4.2020 till the date of his superannuation, *i.e.,* 30.6.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ.815 .—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री पी. आर. राजगोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 28.2.2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री अतानु कुमार दास के स्थान पर बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 815 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri P. R. Rajagopal, Executive Director, Allahabad Bank as Executive Director, Bank of India, *vice* Shri Atanu Kumar Das, with effect from the date of assumption of office till 28.2.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

का.आ.816 .—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक, श्री बालकृष्ण अल्से एस. को 1.4.2020 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 30.4.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में 1,76,800-2,24,000/- रुपए के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 25th March, 2020

S.O. 816 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Balakrishna Alse S., Executive Director, Oriental Bank of Commerce as Officer on Special Duty in Punjab National Bank, in the pay-scale of Rs. 1,76,800 – 2,24,000/-, with effect from 1.4.2020 till the date of his superannuation, *i.e.,* 30.4.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

का.आ.817 .—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अशोक कुमार प्रधान को 1.4.2020 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 31.5.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में 2,05,400-2,24,400/- रुपए के वेतनमान में अधिसंख्या आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 25th March, 2020

S.O. 817 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar Pradhan, Managing Director and Chief Executive Officer of United Bank of India as Officer on Special Duty, on supernumerary basis, in Punjab National Bank, in the pay-scale of Rs. 2,05,400-2,24,400/-, with effect from 1.4.2020 till the date of his superannuation, *i.e.,* 31.5.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

का.आ.818 .—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मुकेश कुमार जैन को 1.4.2020 से 14.7.2020

तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में 2,05,400-2,24,400/- रुपए के वेतनमान में अधिसंख्या आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 25th March, 2020

S.O.818 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Mukesh Kumar Jain, Managing Director and Chief Executive Officer of Oriental Bank of Commerce as Officer on Special Duty, on supernumerary basis, in Punjab National Bank, in the pay-scale of Rs. 2,05,400-2,24,400/-, with effect from 1.4.2020 till 14.7.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ.819 .—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा 1 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री बी. पी. कानूनगो (जन्म तिथिः 5.5.1959) को दिनांक 2.4.2020 को उनकी मौजूदा कार्यावधि के पूरा होने पर उन्हें दिनांक 3.4.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/1/2011–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 819 .—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government hereby reappoints Shri B. P. Kanungo (date of birth: 5.5.1959) as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a further period of one year with effect from 3.4.2020, or until further orders, whichever is earlier, upon completion of his existing term on 2.4.2020.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

का.आ. 820.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सिंडिकेट बैंक के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मृत्युंजय महापात्रा (जन्मतिथिः 3.5.1960) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की आयु तक (अर्थात् 31.5.2020 तक) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में 2,05,400-2,24,400/- रुपए के वेतनमान में अधिसंख्या आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 13th April, 2020

S.O. 820 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri Mrutyunjay Mahapatra (date of birth: 3.5.1960), former Managing Director and Chief Executive Officer, Syndicate Bank as Officer on Special Duty on supernumerary basis in Canara Bank, in the pay-scale of Rs. 2,05,400-2,24,400/-, with effect from the date of assumption of office, and till the age of superannuation (*i.e.*,31.5.2020) or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

का.आ. 821.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री जे. पैकिरीसामी (जन्मतिथिः 28.2.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की आयु तक (अर्थात् 28.2.2021 तक) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2,05,400-2,24,400/- रुपए के वेतनमान में अधिसंख्या आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/7/2018–बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 13th April, 2020

S.O. 821 .—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri J. Packirisamy (date of birth: 28.2.1961), Managing Director and Chief Executive Officer, Andhra Bank as Officer on Special Duty on supernumerary basis in Union Bank of India, in the pay-scale of Rs. 2,05,400-2,24,400/-, with effect from the date of assumption of office, and till the age of superannuation (*i.e.*, 28.2.2021) or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/7/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

का.आ. 822.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (3क) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. पुष्पेन्द्र राय (जन्म तिथिः 2.6.1953) को 5.2.2020 के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/19/2019–बीओ-I]

एस. के. राय, अवर सचिव

New Delhi, the 29th April, 2020

S.O. 822 .—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19, read with sub-section (3A) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), Central Government hereby re-nominates Dr. Pushpendra Rai (DOB: 2.6.1953) as part-time non-official director on the Central Board of State Bank of India, for a period of two years beyond 5.2.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/19/2019-BO-I]

S. K. ROY, Under. Secy.

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

का.आ.823 .—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री अतनु कुमार चक्रवर्ती के स्थान पर श्री तरूण बजाज (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012–बीओ-I (खण्ड II)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 5th May, 2020

S.O. 823 .—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Tarun Bajaj (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Atanu Kumar Chakraborty.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol.II)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.